

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 31.7.13


संख्या-3/स्था.रा.भू. शक्ति 2031/2008-281(3)/रा0, श्री कुमार मंगलम, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मोतिहारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-3'सी' के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के रूप में भू-अर्जन कार्यों के संपादन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4, 5(ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. नव पदस्थापित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के प्रभार ग्रहण के पश्चात् यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
3. इसके लिए इन्हे कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
4. पूर्व की सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मिथिलेश कुमार शुक्ला)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-3/स्था.रा.भू. शक्ति 2031/2008-281 /रा0, पटना-15, दिनांक- 31.7.13
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण को उनके पत्रांक-181 दिनांक-05.07.2013 के प्रसंग में/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिथिलेश कुमार शुक्ला)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-3/स्था.रा.भू. शक्ति 2031/2008-281 /रा0, पटना-15, दिनांक-31.7.13
प्रतिलिपि:-आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेवसाइट upload करने हेतु प्रेषित।


(मिथिलेश कुमार शुक्ला)
सरकार के अवर सचिव